



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175322

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4605 / 2026

शयोराज

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

राहुल सिंह दहिया

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. श्री रूपक चौबे, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की प्रति अभिलेख में ली गई है।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य- प्रत्यर्थी पक्ष के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रूपक चौबे को सुना गया।
3. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 704/2024, धारा 105, 351(2) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस थाना दिबाई, जिला बुलंदशहर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना 21.12.2024 को घटी बताई जा रही है। 22.12.2024 को सुबह 10:50 बजे शव परीक्षण किया गया, जिसमें धर्म सिंह गवाहों में से एक थे। गवाहों ने बताया कि मृतक की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। मृतक का शव विच्छेदन 22.12.2024 को दोपहर 3:30 बजे किया गया, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 25.12.2024 को दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, धर्म सिंह और प्रमोद घटना के प्रत्यक्षदर्शी बताए जा रहे हैं। यह तर्क दिया गया है कि मृतक के करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद, धर्म सिंह और प्रमोद ने न तो सूचना देने वाले को और न ही मृतक के परिवार के सदस्यों को समय रहते अपीलार्थी का नाम बताया। महत्वपूर्ण बात यह है अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि धर्म सिंह ने शव परीक्षण के दौरान भी अपीलार्थी का नाम नहीं बताया। यद्यपि यह स्वीकार किया गया है कि वह जांच के दौरान गवाह के रूप में उपस्थित थे, यह तर्क दिया गया है कि यदि धर्म सिंह और प्रमोद ने वास्तव में घटना देखी थी, तो उनके पास अपीलार्थी का नाम छिपाने का कोई कारण नहीं था, विशेषकर तब जब वे मृतक के परिवार से घनिष्ठ रूप से परिचित थे। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि लगभग तीन दिनों की अस्पष्टीकृत देरी के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। धर्म सिंह द्वारा जांच की कार्यवाही के दौरान कथित तौर पर प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उपस्थित होने के बावजूद अपीलार्थी का नाम अस्पष्ट रूप से न बताने से घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति और घटना को देखने के उनके बाद के दावे की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। समान रूप से दोषी सह-आरोपी ब्रजनाथ पचौरी उर्फ अनिरुद्ध कुमार पचौरी और लाड मोहन पचौरी उर्फ लाडनून हेलन पचौरी को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 23983/2025 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत दी गई है। अपीलार्थी समानता का दावा करता है। अपीलार्थी 31.12.2024 से जेल में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन अभिलेख से उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग तीन दिनों की अस्पष्टीकृत देरी के साथ दर्ज की गई है। धर्म सिंह द्वारा जांच कार्यवाही के दौरान कथित तौर पर प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उपस्थित होने के बावजूद अपीलार्थी का नाम अस्पष्ट रूप से गुप्त रखने से घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति और घटना को देखने के उसके बाद के दावे की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। समान रूप से दोषी सह-आरोपी ब्रजनाथ पचौरी उर्फ अनिरुद्ध कुमार पचौरी और लाड मोहन पचौरी उर्फ लाडनून हेलन पचौरी को जमानत दे दी गई है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी एक वर्ष सात माह से अधिक समय से कारावास में है और आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मुकदमे के शीघ्र समापन की कोई उम्मीद नहीं है, और राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित संदेह नहीं जताया गया है कि यदि अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, मुकदमे में देरी करेगा या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गवाहों को डराएगा। अतः मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. उपरोक्त मामले में आरोपी अपीलार्थी-शयोराज को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) वह निचली अदालत द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;

(ii) वह अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा; और

(iii) वह अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

19 अगस्त, 2026

एसकेटी/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।